By SPEED POST/EMAIL

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

सेवा में,

सलाहकार (न्यायिक),
मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली

पत्र संख्याः— 542/13—सी.आर.ए./2024 दिनांक 15 जुलाई, 2024

विषयः— **मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) नई दिल्ली द्वारा OA. No.634 of 2024-Suo Moto in Re: News item published in the newspaper the Times of India, dated 27-04-2024 entitled " IFA helicopter roped in to douse fire in Nainital as situation worsens in Uttarakhand district" के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र संख्या 17/XVIII-B-1/2023-11(06)/2024 दिनांक 14 जून, 2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त योजित वाद में Chief Excutive officer of the State Disaster Management Authority, Uttarakhand, USDMA को प्रतिवादी—3 एवं Chairman of the State Disaster Management Authority. Nainital/ District Magistrate of Nainital, Uttarakhand को प्रतिवादी—4 बनाया गया है। मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2024 में निम्नवत् उल्लेख किया गया है:—

1. This original application is registered suo motu on the basis of the news item titled "IAF helicopter roped in to douse fire in Nainital as situation worsens in Uttarakhand district" appearing in 'The Times of India' dated 27.04.2024.

2. The news item relates to the raging forest fires in Nainital District in Uttarakhand. As per the news item, the fire has now reached the High Court colony in Pines area. The article states that to control the situation an Indian Airforce M-17 helicopter used a Bambi Bucket to collect water from Bhimtal lake and then poured it over the burning forests in various areas of the district, including Pines, Bhumiadhar, Jyolikot, Narayan Nagar, Bhawali, Ramgarh, and Mukteshwar. The article further states that 31 new incidents of forest fire were reported across the state, resulting in the destruction of 33.34 hectares of forest land. The news item states that the fire had engulfed an old, vacant house near the Pines but did not cause any damage to the High Court Colony, although it came dangerously close to the buildings. As a precautionary measure, the district

administration has prohibited boating in Naini lake. The news 2 item discloses that since November 1 last year, Uttarakhand has reported a total of 575 incidents of forest fire, affecting 689.89 hectares of forest area and resulting in a cost of more than Rs 14 lakh to the State.

3. The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms, especially compliance of the Forest (Conservation) Act, 1980 and the Environment (Protection) Act, 1986.

मा. अधिकरण के उक्त आदेश के अनुपपालन में प्रकरण प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल, अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड नैनीताल एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, नैनीताल से प्राप्त आख्या निम्नानुसार हैः–

<u>अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड नैनीतालः–</u>

दिनांक 26.04.2024 को उपजिलाधिकारी नैनीताल द्वारा दूरभाष पर दी गई सूचना के आधार पर वनाग्नि को रोकने हेतु हेलीकॉप्टर द्वारा झील से पानी उठाने की अनुमति प्रदान की गई तथा झील में नावों के संचालन को तत्समय रोक दिया गया, जिसके क्रम में दिनांक 27.04.2024 को भीमताल झील से पानी उठाया गया।

<u>प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीतालः–</u>

नैनीताल जनपद के पर्वतीय भाग में स्थित चीड़ वन लगभग खड़े ढालदार पहाड़ों पर स्थित हैं। जहां आग बुझाने का कार्य भी अत्यन्त जोखिम भरा होता है।

दिनांक 26.04.2024 को अपरान्ह पाईन्स स्थित उच्च न्यायालय कॉलौनी के समीप नैना रैंज के लड़ियाकाटा बीट के कक्ष संख्या–03 में अचानक अग्नि घटना घटित हुई। चीड़ बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण उक्त वनाग्नि कॉलोनी के समीप पहुंच गयी, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए नैना, नगरपालिका तथा भवाली वन क्षेत्रों की टीमों को तत्काल मौके पर पहुंच कर सर्वप्रथम आबादी क्षेत्र को सुरक्षित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये। फायर ब्रिगेड पुलिस प्रशासन के साथ ही वन विभाग द्वारा अथक प्रयास करते हुए सायं 4:30 बजे आबादी क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया गया एवं किसी प्रकार की जान–माल की क्षति नहीं होने दी गयी । इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनांधिकारी. नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के पत्रांक– 5828/ 27 – 7 दिनांक 27.04.2024 के माध्यम से घटना की सूचना मुख्य वन संरक्षक, वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित की गयी ।

नैना रैंज के लड़ियाकाटा बीट के कक्ष संख्या–03 व वायुसेना के रडार क्षेत्र से कुछ दूरी पर तेज हवाओं के कारण वनाग्नि ने विकराल रूप ले लिया तथा वनाग्नि लड़ियाकाटा क्षेत्र के आबादी वाले क्षेत्र की ओर बड़ने लगी। वन क्षेत्राधिकारी, भवाली वन क्षेत्र के नेतृत्व में 10 फायर वॉचर, 05 उपनल श्रमिक तथा 10 अन्य श्रमिकों की टीम को नैना वन क्षेत्र के पाईन्स तथा लड़ियाकाटा क्षेत्र में भेजा गया । क्षेत्र में 15 कर्मचारियों की टीम द्वारा पाईन्स क्षेत्र में आबादी में वनाग्नि को नियंत्रित किया गया तथा 10 कर्मचारियों की टीम द्वारा आरक्षित वन के लड़ियाकाटा बीट के क०सं० 3 व 4 तथा वायुसेना के रडार क्षेत्र में वनाग्नि के नियंत्रित करने का कार्य किया गया।

दिनांक 27.04.2024 को प्रात 7:00 बजे चीड़ बाहुल्य क्षेत्र को वनाग्नि की विभीषिका के मध्यनजर उक्त लड़ियाकाटा "बीट के क0सं0 – 03 व 04 व वायुसेना के रडार वाले क्षेत्रों पर वायुसेना के हैलीकॉप्टर एम0आई0–17 द्वारा पानी से छिड़काव किया गया एवं वनाग्नि पर नियन्त्रण करते हुए रडार स्टेशन पर रखे गये उपकरणों को सुरक्षित किया गया। वर्तमान में उक्त क्षेत्र पर वनाग्नि पर नियंत्रण पा लिया गया है। उक्त घटना में नैना वन क्षेत्र, नगरपालिका वन क्षेत्र के कर्मचारियों तथा पुलिस प्रशासन, फायर बिग्रेड एवं वायु सेना की टीम द्वारा वनाग्नि को नियंत्रित किया गया। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के पत्रांक 5829 / 27–7 दिनांक 27.04.2024 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचना प्रेषित की गयी।

उपरोक्त घटनाओं की सूचना मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 723/27–7 दिनांक 27.04.2024 के माध्यम से प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित की गयी। पत्र की प्रति उप–महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, आई0आर0ओ0 (integrated Regional Office), पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं सहायक वन महानिरीक्षक (AIG), (वन संरक्षण विभाग), पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भी प्रेषित की गयी।

नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के अन्तर्गत घटित उपरोक्त घटनाओं में वन विभाग, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग सहित जनपद प्रशासन द्वारा आपसी समन्वय स्थापित करते हुए वनाग्नि घटना को नियन्त्रित किया गया। जिससे किसी भी प्रकार से जान–माल की क्षति नहीं हुई है।

दिनांक– 27.04.2024 को "द टाईम्स ऑफ इण्डिया " (The Times of India) समाचार पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुई कि एम0आई0–17 हैलीकॉप्टर के माध्यम से पाईन्स, भूमियाधार, ज्योलीकोट, नारायणनगर, भवाली, रामगढ़ एवं मुक्तेश्वर में वनाग्नि नियंत्रित की गयी। **जबकि एम0आई0 – 17 हैलीकॉप्टर के माध्यम से दिनांक 27.04.2024 को केवल वायुसेना के रडार वाले क्षेत्र लड़ियाकाटा में ही आग बुझाने का कार्य किया गया है। इस प्रकार उक्त समाचार पत्र में उल्लेखित तथ्य वास्तविक घटना से भिन्न हैं।**

प्रकरण में वन क्षेत्राधिकारी, नैना वन क्षेत्र द्वारा प्रेषित एक्शन टेकन रिपोर्ट (ए०टी०आर०) के अनुसार दिनांक 26.04.2024 को उच्च न्यायालय कॉलोनी, पाईन्स, नैनीताल के समीप लड़ियाकाटा बीट, कक्ष संख्या – 03 में कुल 1.50 हैक्टेअर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। जबकि दिनांक 27.04.2024 को कक्ष संख्या–03 व 04 में तथा वायुसेना के रडार क्षेत्र में कुल 2.80 हैक्टेअर क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

दिनांक–26.04.2024 व दिनांक 27.04.2024 को उक्त वनाग्नि घटनाओं के सम्बन्ध में निकटवर्ती ग्रामीणों एवं संस्थानों द्वारा वन विभाग के प्रयासों की सराहना की गयी है एवं इन घटनाओं को नियन्त्रित करने हेतु समस्त सम्बन्धित राजकीय विभागों द्वारा आपसी समन्वय से लोकहित में कार्य किया गया।

जिला पंचायत राज अधिकारी, नैनीतालः–

माह मई व जून, 2024 में वनाग्नि की रोकथाम हेतु विशेष बैठकें आयोजित की गयी, जिसमें जन जागरूकता हेतु कार्यक्रमों के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों में कूड़ा न जलाये जाना व वन राष्ट्र की धरोहर श्लोगन के तहत वनों को आग से बचाने के लिए शपथ इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किये गये तथा जनपद अन्तर्गत कुल 08 विकास खण्डों की कुल 479 ग्राम पंचायतों में बैठकें सम्पन्न कराते हुए वनाग्नि रोकथाम हेतु वृहत प्रचार–प्रसार कर ग्रामवासियों को जागरूक किया गया।

उक्त के अतिरिक्त वनाग्नि वित्तीय वर्ष में जनपद अन्तर्गत तहसील स्तर से वाहन अधिग्रहण कर सम्बन्धित वन प्रभागों को उपलब्ध करवाते हुए आदेश संख्या 1086/13–सी.आर.ए. (आ.प्र.प्राधि.)/2024–25 दिनांक 29 अप्रैल, 2024 द्वारा न्याय पंचायतवार QRT का गठन करते हुए उक्त QRT से समन्वय स्थापित किये जाने हेतु कार्यालय आदेश संख्याा 369/13–सी.आर.ए./2024 दिनांक 06 मई, 2024 द्वारा श्री नवीन चन्द्र, मास्टर ट्रेनर, खोज एवं बचाव, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, नैनीताल को नोडल अधिकारी नामित किया गया तथा वनाग्नि की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद के विभिन्न वन प्रभागों को कार्यालय आदेश संख्या 344/13–सी.आर.ए./2024 दिनांक 30 अप्रैल, 2024 द्वारा वर्तमान वनाग्नि सत्र एवं आदेश संख्या 496/13–सी.आर.ए./2024 दिनांक 01 जुलाई, 2024, 496–1/13–सी.आर.ए./2024 दिनांक 10 जुलाई, 2024 द्वारा आगमी वनाग्नि सत्र हेतु निम्नानुसार धनराशि आवंटित की गई हैः–

वर्तमान वनाग्नि सत्र हेतु प्रभागवार आवंटित धनराशि का विवरण		
क्रम सं.	प्रभाग का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
01	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।	3.50
02	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।	4.50
03	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर।	2.00
04	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।	2.25
05	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।	2.25
06	उप निदेशक, कार्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर।	0.90
07	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।	21.00
योग		**36.40**

आगामी वनाग्नि सत्र हेतु प्रभागवार आवंटित धनराशि का विवरण		
क्रम सं.	प्रभाग का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
01	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।	5.00
02	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।	5.00
03	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर।	4.00
04	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।	5.00
05	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।	5.00

06	उप निदेशक, कार्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर।	5.00
07	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।	5.00
योग		**34.00**

अतः प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल, अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, नैनीताल एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, नैनीताल द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या मूल मे एवं कार्यालय स्तर पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न कर मा. अधिकरण के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः-- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(फिंचाराम चौहान)
अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)
नैनीताल।

प्रेषक,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
नैनीताल।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

पत्रांक 413 /7–पं0/मा0रा0हरित अधि0–सूचना/2024–25 दिनांक 12, जुलाई, 2024

विषयः– **मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Trilbunal) नई दिल्ली द्वारा OA. No. 364 of 2024-Suo Moto In Re: News Item published in the newspaper the Times of India, dated 27-04-2024 entitled "IFA hellocopter roped in to douse fire in Nainital as situation worsens in Uttarakhand district" के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र संख्या **17/XVIII-B-1/2023-11(06)/2024** दिनांक 14 जून, 2024 के क्रम में आपके पत्र संख्या 516/13–सी0आर0ए0 /2023–24 के द्वारा वनाग्नि नियंत्रण एवं रोकथाम के सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग को दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में जनजागरूकता अभियान के सम्बन्ध मे निर्देशित किया गया है। जिस क्रम में अवगत कराना है कि जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में वनाग्नि रोकथाम सम्बन्धि आपातकालीन बैठकें आयोजित की गयी।

उक्त के क्रम में ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत माह मई व जून, 2024 में वनाग्नि की रोगथाम हेतु विशेष बैठकों का आयोजित किया गया, जिसमें जनजागरूकता हेतु कार्यक्रमों के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों में कूड़ा न जलाये जाना व वन राष्ट्र की धरोहर श्लोग्न के तहत वनों को आग से बचाने के लिए शपथ इत्यादि कार्यक्रम आयाजित किये गये तथा वनाग्नि रोकथाम हेतु वृहत प्रचार–प्रसार कर ग्राम वासियों को जागरूक किया गया। **(छायप्रति संलग्न)**

अतः सादर सूचना प्रेषित है।

संलग्नः– **यथोपरि।**

भवदीय

(सुरेश प्रकाश बैनी)
जिला पंचायत राज अधिकारी,
नैनीताल।

ग्राम पंचायतों की वनाग्नि रोकथाम सम्बन्धी आहूत बैठकों का विवरण

क्र0सं0	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या जहाँ वनाग्नि की बैठक सम्पन्न की गयी
1	2	3	3	4
1	नैनीताल	रामनगर	53	53
		कोटाबाग	56	56
		हल्द्वानी	60	60
		भीमताल	60	60
		धारी	41	41
		रामगढ़	59	59
		बेतालघाट	75	75
		ओखलकाण्डा	75	75
योग			479	479

जिला पंचायत राज अधिकारी,
नैनीताल।

अतिमहत्वपूर्ण/सगयबद्ध

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

E-mail: dfonainital@gmail.com courtcellforestntl@gmail.com Telefax.05942-236790, 231792

पत्रांक:- 6517 / 29-3(3) नैनीताल, दिनाँक- 28 /06/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

विषयः- माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायालय, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0 634/2024, **News Item titled "IAF helicopter roped in to douse fire in Nainital as situation worsens in Uttarakhand district" appearing in The Times of India dated 27.04.2024** के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक- 277/29-5, दिनांक 12.06.2024 द्वारा अपने पत्र में माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-30.05.2024 की छायाप्रति। (संलग्न)

महोदय,

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में नैनीताल क्षेत्र में वनाग्नि के सम्बन्ध में मूल आवेदन संख्या-634/2024, News Item titled "IAF helicopter roped in to douse fire in Nainital as situation worsens in Uttarakhand district" appearing in The Times of India dated 27.04.2024 का स्वतः संज्ञान लिया गया है। जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-30.05.2024 को निम्न आदेश पारित किया गया है-

2. The news item relates to the raging forest fires in Nainital District in Uttarakhand. As per the news item, the fire has now reached the High Court colony in Pines area. The article states that to control the situation an Indian Airforce M-17 helicopter used a Bambi Bucket to collect water from Bhimtal lake and then poured it over the burning forests in various areas of the district, including Pines, Bhumiadhar, Jyolikot, Narayan Nagar, Bhawali, Ramgarh, and Mukteshwar. The article further states that 31 new incidents of forest fire were reported across the state, resulting in the destruction of 33.34 hectares of forest land. The news item states that the fire had engulfed an old, vacant house near the Pines but did not cause any damage to the High Court Colony, although it came dangerously close to the buildings. As a precautionary measure, the district administration has prohibited boating in Naini lake. The news item discloses that since November 1 last year, Uttarakhand has reported a total of 575 incidents of forest fire, affecting 689.89 hectares of forest area and resulting in a cost of more than Rs 14 lakh to the State.

5. Hence, we implead the following as respondents in the matter:

(1).. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, through its Special Secretary and Director General of Forest, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, New Delhi.

(2). Principal Chief Conservator of Forests, Uttarakhand, Head Quarter 85, Rajpur Road, Dehradun, Uttarakhand 248009.

(3). Chief Executive Officer of the State Disaster Management Authority, Uttarakhand, USDMA, Secretariat Campus, 4-B, Subhash Road, Uttarakhand Secretariat, Dehradun.

(4). Chairman of the State Disaster Management Authority, Nainital/District Magistrate of Nainital, Collectorate Office, Nainital, Uttarakhand 263001.

6. Issue notice to the above respondents for filing their response at least one week before the next date of hearing.

7. Similar issue is involved in OA No. 156/2024.

विषयगत प्रकरण में प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से सम्पूर्ण तथ्यात्मक रिपोर्ट वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल के परीक्षणोपरान्त प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। विषयगत प्रकरण में रिपोर्ट मय संलग्नक प्रेषित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि रिपोर्ट का परीक्षण करने के उपरान्त उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

पत्रांक– 6517 / /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्रांक– 277/29–5, दिनांक 12.06.2024 के क्रम में।
2. मुख्य वन संरक्षक, सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

संलग्नक–यथोपरि।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

पत्रांक– 6517 / /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक–यथोपरि।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायालय, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0 634/2024, **News Item titled "IAF helicopter roped in to douse fire in Nainital as situation worsens in Uttarakhand district" appearing in The Times of India dated 27.04.2024** के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट

1. उत्तराखण्ड राज्य एक पर्वतीय राज्य है। जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के वन एवं वन्यजीव सहित जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित हैं। उत्तराखण्ड राज्य में 5000–10000 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण वन (Temperate Forest) पाये जाते हैं। उत्तराखण्ड के शीतोष्ण वनों की प्रमुख प्रजाति चीड़ (Pinus roxburghii) है। चीड़ वन कार्बनिक, पॉलीमर से भरपूर होते हैं। इस कारण अग्नि की दृष्टि से संवेदनशील होते हैं। चीड़ वनों में माह अप्रैल एवं मई में पिरूल (Pine Needles) गिरती हैं, जो उच्च ताप एवं आर्द्रता के कारण वनाग्नि का प्रमुख कारण बनती हैं।

2. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, चम्पावत, रूद्रप्रयाग, टिहरी एवं पौड़ी गढवाल सहित नैनीताल जनपद के पर्वतीय भाग वनाग्नि की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील रहे हैं। उत्तराखण्ड में वनाग्नि की घटनाओं का पुराना इतिहास रहा है। पं0 गोविन्द बल्लभ पंत द्वारा वर्ष–1922 में लिखी गयी पुस्तक "फॉरेस्ट प्रॉब्लम्स इन कुमाऊँ" (Forest Problems In Kumaon) में भी वनाग्नि के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रमुख इतिहासकार एवं लेखक डॉ0 राम चन्द्र गुहा द्वारा वर्ष–1982 में चिपको आन्दोलन के सम्बन्ध में लिखी गयी पुस्तक द् अनक्वाईड बुड्स (The Unquiet Woods) में भी उत्तराखण्ड की वनाग्नि के सम्बन्ध में तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. नैनीताल जनपद के पर्वतीय भाग में स्थित चीड़ वन लगभग खड़े ढालदार पहाड़ों पर स्थित हैं। जहां आग बुझाने का कार्य भी अत्यन्त जोखिम भरा होता है।

4. दिनांक–26.04.2024 को अपरान्ह पाईन्स स्थित उच्च न्यायालय कॉलौनी के समीप नैना रैंज के लड़ियाकाटा बीट के कक्ष संख्या–03 में अचानक अग्नि घटना घटित हुई। चीड़ बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण उक्त वनाग्नि कॉलौनी के समीप पहुंच गयी, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए नैना, नगरपालिका तथा भवाली वन क्षेत्रों की टीमों को तत्काल मौके पर पहुंच कर सर्वप्रथम आबादी क्षेत्र को सुरक्षित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये। फायर ब्रिगेड पुलिस प्रशासन के साथ ही वन विभाग द्वारा अथक प्रयास करते हुए सायं–4:30 बजे आबादी क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया गया एवं किसी प्रकार की जान–माल की क्षति नहीं होने दी गयी। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के पत्रांक–5828/27–7 दिनांक–27.04.2024 के माध्यम से घटना की सूचना मुख्य वन संरक्षक, वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित की गयी।

5. नैना रैंज के लड़ियाकाटा बीट के कक्ष संख्या–03 व वायुसेना के रडार क्षेत्र से कुछ दूरी पर तेज हवाओं के कारण वनाग्नि ने विकराल रूप ले लिया तथा वनाग्नि लड़ियाकाटा क्षेत्र के आबादी वाले क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। वन क्षेत्राधिकारी, भवाली वन क्षेत्र के नेतृत्व में 10 फायर वॉचर, 05 उपनल श्रमिक तथा 10 अन्य श्रमिकों की टीम को नैना वन क्षेत्र के पाईन्स तथा लड़ियाकाटा क्षेत्र में भेजा गया। क्षेत्र में 15 कर्मचारियों की टीम द्वारा पाईन्स क्षेत्र में आबादी में वनाग्नि को नियंत्रित किया गया तथा 10 कर्मचारियों की टीम द्वारा आरक्षित वन के लड़ियाकाटा बीट के क0सं0 3 व 4 तथा वायुसेना के रडार क्षेत्र में वनाग्नि के नियंत्रित करने का कार्य किया गया।

6. दिनांक–27.04.2024 को प्रात–7:00 बजे चीड़ बाहुल्य क्षेत्र को वनाग्नि की विभीषिका के मध्यनजर उक्त लड़ियाकाटा बीट के क0सं0– 03 व 04 व वायुसेना के रडार वाले क्षेत्रों पर वायुसेना के हैलीकॉप्टर एम0आई0–17 द्वारा पानी से छिड़काव किया गया एवं वनाग्नि पर नियन्त्रण करते हुए रडार स्टेशन पर रखे गये उपकरणों को सुरक्षित किया गया। वर्तमान में उक्त क्षेत्र पर वनाग्नि पर नियन्त्रण पा लिया गया है। उक्त घटना में नैना वन क्षेत्र, नगरपालिका वन क्षेत्र के कर्मचारियों तथा पुलिस प्रशासन, फायर बिग्रेड एवं वायु सेना की टीम द्वारा वनाग्नि को नियंत्रित किया गया। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के पत्रांक–5829/27–7 दिनांक–27.04.2024 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचना प्रेषित की गयी।

7. उपरोक्त घटनाओं की सूचना मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक–723/27–7 दिनांक 27.04.2024 के माध्यम से प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचना प्रेषित की गयी। पत्र की प्रति उप–महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, आई0आर0ओ0 (Integrated Regional Office), पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं सहायक वन महानिरीक्षक (AIG), (वन संरक्षण विभाग), पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भी प्रेषित की गयी।

8. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के अन्तर्गत घटित उपरोक्त घटनाओं में वन विभाग, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग सहित जनपद प्रशासन द्वारा आपसी समन्वय स्थापित करते हुए वनाग्नि घटना को नियन्त्रित किया गया। जिससे किसी भी प्रकार से जान–माल की क्षति नहीं हुई है।

9. दिनांक–27.04.2024 को "द टाईम्स ऑफ इण्डिया" (The Times of India) समाचार पत्र में यह समाचार प्रकाशित की गयी कि एम0आई0–17 हैलीकॉप्टर के माध्यम से पाईन्स, भूमियाधार, ज्योलीकोट, नारायणनगर, भवाली, रामगढ़ एवं मुक्तेश्वर में वनाग्नि नियंत्रित की गयी। जबकि एम0आई0–17 हैलीकॉप्टर के माध्यम से दिनांक–27.04.2024 को केवल वायुसेना के रडार वाले क्षेत्र लड़ियाकाटा में ही आग बुझाने का कार्य किया गया है। इस प्रकार उक्त समाचार पत्र में उल्लेखित तथ्य वास्तविक घटना से भिन्न हैं।

10. प्रकरण में वन क्षेत्राधिकारी, नैना वन क्षेत्र द्वारा प्रेषित एक्शन टेकन रिपोर्ट (ए0टी0आर0) के अनुसार दिनांक–26.04.2024 को उच्च न्यायालय कॉलौनी, पाईन्स, नैनीताल के समीप लड़ियाकाटा बीट, कक्ष संख्या–03 में कुल 1.50 हैक्टेअर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। जबकि दिनांक–27.04.2024 को कक्ष संख्या–03 व 04 में तथा वायुसेना के रडार क्षेत्र में कुल 2.80 हैक्टेअर क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

11. यह कि दिनांक–26.04.2024 व दिनांक–27.04.2024 को उक्त वनाग्नि घटनाओं के सम्बन्ध में निकटवर्ती ग्रामीणों एवं संस्थानों द्वारा वन विभाग के प्रयासों की सराहना की गयी है एवं इन घटनाओं को नियन्त्रित करने हेतु समस्त सम्बन्धित राजकीय विभागों द्वारा आपसी समन्वय से लोकहित में कार्य किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

कार्यालयः मुख्य वन संरक्षक, वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन
उत्तराखण्ड, देहरादून।

85 राजपुर रोड़ देहरादून– 248001
दूरभाष : 0135–2744550 ई–मेल: nodalforestfire.uk@gmail.com

पत्रांक 723/27-7 देहरादून, दिनांक, 27 अप्रैल, 2024।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड।

विषय :– नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के अन्तर्गत नैना रेंज के लड़ियाकाटा एवं वायुसेना के रडार क्षेत्र में तथा पाईन्स स्थित उच्च न्यायायल कॉलौनी के समीप दिनांक 26.04.2024 को घटित वनाग्नि दुर्घटना के संबंध में कार्यवाही रिपोर्ट।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत करना है कि नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल के अन्तर्गत नैना रेंज के लड़ियाकाटा एवं वायुसेना के रडार क्षेत्र में तथा पाईन्स स्थित उच्च न्यायायल कॉलौनी के समीप दिनांक 26.04.2024 को घटित वनाग्नि दुर्घटना के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल से आख्या प्राप्त की गयी। प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल द्वारा अपने पत्रांक 5828/27–7, दिनांक 27.04.2024, एवं पत्रांक 5829/27–7, दिनांक 27.04.2024 (छायाप्रतियाँ संलग्न) से प्राप्त आख्या के क्रम में इस वनाग्नि घटना को नियंत्रित करने की कार्यवाही रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

1. दिनांक 26.04.2024 को अपराह्न में पाईन्स स्थित मा0 उच्च न्यायालय कॉलौनी के समीप नैना रेंज के लड़ियाकांटा बीट के कक्ष संख्या–03 में अग्नि घटना हुई। चीड़ बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण वनाग्नि कालौनी के समीप पहुंच गयी, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए नैत, नगर पालिका तथा भवाली वन क्षेत्रों की टीमों द्वारा मौके पर पहुंचकर सर्वप्रथम आबादी क्षेत्र को सुरक्षित किया गया। फायर ब्रिगड, पुलिस प्रशासन के साथ ही वन विभाग द्वारा अथक प्रयास करते हुए सांय 4:30 बजे आबादी क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया गया, किसी प्रकार की जान–माल की क्षति नहीं होने दी गयी।
2. नैना रेंज के लड़ियाकाटा क्षेत्र तथा वायुसेना के रडार क्षेत्र से कुछ दूरी पर तेज हवाओं के कारण वनाग्नि ने बड़ा रूप ले लिया तथा वनाग्नि लड़ियाकाटा क्षेत्र के आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। वन क्षेत्राधिकारी भवाली रेंज के नेतृत्व में 10 फायर वाचर, 05 उपनल श्रमिक तथा 10 अन्य श्रमिकों की टीम को नैना रेंज के पाईन्स तथा लड़ियाकाटा क्षेत्र में भेजा गया। क्षेत्र में 15 कर्मचारियों की टीम द्वारा पाईन्स क्षेत्र में आबादी मे वनाग्नि को नियंत्रित किया गया तथा 10 कर्मचारियों की टीम द्वारा आरक्षित वन के लड़ियाकाटा बीट के क0नं0 3 व 4 तथा वायुसेना के रडार क्षेत्र में वनाग्नि को नियंत्रित करने का कार्य किया गया। उक्त क्षेत्र बांझ एवं चीड़ बाहुल्य वन क्षेत्र है वनाग्नि विभिषिका के मध्यनजर दिनांक 27.04.2024 के प्रातः 07 बजे वायुसेना के हैलीकॉप्टर एम0आई0–17 द्वारा लड़ियाकाटा बीट के क0नं0 3 व 4 तथा वायुसेना के रडार वाले क्षेत्रों में पानी का छिड़काव किया गया। कर्मचारियों द्वारा लडियाकाटा कक्ष संख्या 3 व 4 एवं वायुसेना के रडार क्षेत्र में आग को नियंत्रित किया एवं रडार स्टेशन में रखे गये उपकरणों को बचाया गया। नैना रेंज, नगर पालिका रेंज के कर्मचारियों तथा पुलिस प्रशासन, फायर बिग्रेड एवं सेना की टीम द्वारा वनाग्नि को नियंत्रित किया गया। वर्तमान में उक्त क्षेत्रों में वनाग्नि नियंत्रित हो चुकी है।

अतः कार्यवाही रिपोर्ट सादर सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,
(निशान्त वर्मा) 27/4/24
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन,
उत्तराखण्ड।

संख्या 723/27-7 दिनांकित।

प्रतिलिपि :–

1. DDG, Region Office, IRO, MoEF&CC को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. AIG, MoEF&CC (FPD) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(निशान्त वर्मा) 27/4/24
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
E-Mail- dfonainital@gmail.com
पत्रांक [illegible] दिनांक, नैनीताल [illegible] अप्रैल, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय — नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल की नैना रेंज के लड़ियाकाटा एवं वायुसेना के रडार वाले क्षेत्र में वनाग्नि दुर्घटना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:— वन क्षेत्राधिकारी भवाली की पत्र संख्या 219/27—1 दिनाँक 27 अप्रैल, 2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल में दिनांक 26/4/2024 को नैना रेंज के लड़ियाकाटा क्षेत्र तथा वायुसेना के रडार क्षेत्र से कुछ दूरी पर वनाग्नि की घटना घटित हुई, हवाओं के तीव्र वेग के कारण वनाग्नि ने बड़ा रूप ले लिया तथा वनाग्नि लड़ियाकाटा क्षेत्र के आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। जिसके क्रम में वन क्षेत्राधिकारी, भवाली रेंज के नेतृत्व में भवाली रेंज से 10 फायर वाचर, 5 उपनल श्रमिक, तथा 10 श्रमिकों की टीम बनाकर भवाली रेंज से नैना रेंज के पाईस तथा लड़ियाकाटा क्षेत्र में आग को नियंत्रित करने हेतु भेजा गया। क्षेत्र में 15 कर्मचारियों की टीम द्वारा पाईस क्षेत्र के आबादी क्षेत्र में वनाग्नि को नियंत्रित किया तथा 10 कर्मचारियों की टीम द्वारा आरक्षित वन के लड़ियाकाटा बीट के कक्ष संख्या 3 एवं 4 तथा वायुसेना के रडार क्षेत्र में वनाग्नि को नियंत्रित करने का कार्य किया गया। इस दौरान नैनीताल से भवाली मोटर मार्ग में काफी धुआं हो गया, जिस कारण मार्ग में घण्टों तक वाहनों की आवाजाही बाधित रही। इस दौरान विभाग द्वारा वनाग्नि को नियंत्रित कर लिया गया।

उक्त क्षेत्र में उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल द्वारा अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुँचे तथा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल द्वारा अपनी टीम को साथ में लेकर लड़ियाकाटा कक्ष संख्या 3 व 4 एवं वायुसेना के रडार क्षेत्र में आग को नियंत्रित किया एवं रडार स्टेशन में रखे गये उपकरणों को बचाया गया। नैना रेंज, नगर पालिका रेंज के कर्मचारियों तथा पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड एवं सेना की टीम द्वारा वनाग्नि को नियंत्रित किया गया।

उक्त क्षेत्र बांज एवं चीड़ बाहूल्य वन क्षेत्र है। क्षेत्र में वनाग्नि की विभिषिका के मद्देनजर जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया गया कि दिनांक 27/4/2024 को प्रातः 5:00 बजे से वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा लड़ियाकाटा तथा वायुसेना के रडार वाले क्षेत्र में आग पर नियंत्रण पाने हेतु सहयोग किया जायेगा। तत्क्रम में वायुसेना के हेलीकॉप्टर एम० आई० 17 के द्वारा प्रातः 7:000 बजे से भीमताल स्थित झील से पानी भरकर लड़ियाकाटा बीट के कक्ष संख्या 3 व 4 तथा वायुसेना के रडार वाले क्षेत्रों में पानी का छिड़काव किया गया है। वर्तमान में उपरोक्त क्षेत्र में वनाग्नि नियंत्रित हो चुकी है।

अतः अतः महोदय, उपरोक्तानुसार क्षेत्र में घटित वनाग्नि घटना की सूचना सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल द्वारा प्रेषित सूचना से अवगत होने की कृपा करें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल उत्तराखण्ड।
2. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ, वृत्त, नैनीताल, उत्तराखण्ड।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

G2C

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
E-mail:dfonainital@gmail.com . Telefax.05942-236790

पत्रांकः– 5828 /27–7 दिनांक 27 /04 /2024.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **पाईन्स स्थित उच्च न्यायालय कालौनी के समीप दिनांक 26–04–2024 को घटित वनाग्नि दुर्घटना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

दिनांक 26–4–2024 को अपरान्ह पाईन्स स्थित उच्च न्यायालय कालौनी के समीप नैना रैंज के लड़ियाकांटा बीट के कक्ष संख्या– 03 में अचानक अग्नि लग गयी। चीड़ बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण उक्त वनाग्नि कालौनी के समीप पहुँच गयी जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए नैना, नगरपालिका तथा भवाली वन क्षेत्रों की टीमों को तत्काल मौके पर पहुँच कर सर्वप्रथम आवादी क्षेत्र को सुरक्षित किये जाने के निर्देश दिये गये। मौके पर उप प्रभागीय वनाधिकारी मुक्तेश्वर श्री हेम चन्द्र गहतोड़ी को आबादी क्षेत्र को तत्काल सुरक्षित करवाये जाने हेतु भेजा गया। फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन के साथ ही वन विभाग द्वारा अथक प्रयास करते हुए सायं 4.30 बजे आवादी क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया गया किसी प्रकार की जान–माल की क्षति नहीं होने दी।

आवादी कालौनी को पूर्णतया सुरक्षित करवाये जाने के उपरान्त वन क्षेत्र की वनाग्नि को नियंत्रित करना प्रारम्भ किया गया। चूंकि पाईन्स कालौनी मुख्य मार्ग में चीड़ बाहुल्य क्षेत्र से लगती हुई थी इसलिये वायु गति अत्यन्त तीव्र होने के कारण वनाग्नि का फैलाव शीघ्र हो गया परन्तु किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति आने से पूर्व वनाग्नि को आवादी क्षेत्र के समीप पूर्णतया नियंत्रित कर लिया गया। मौके पर उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल/मुक्तेश्वर के साथ ही नैना/नगरपालिका की टीमें, फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन सभी उपलब्ध रहे।

अतः आख्या महोदय की सेवा में प्रेषित।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

संख्याः– (1)/ उपर्युक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक (कुमाऊँ), उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

नैना वन क्षेत्र – फायर दिनांक 28/04/2024 की एक्शन टेकन रिपोर्ट (ए०टी०आर०)

S. N.	Division name	Range name	Section/Beat name	Number of total		Action Taken Report			remarks
				R. F.	N F.	No. Of Total fire detectd	forest fire doused (no)	No fire detected (no)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल	नैना रेंज	लड़ियाकांटा बीट, लड़ियाकांटा क०न० 3	1	0	1	1	1	लड़ियाकांटा क०न० 03 में 2:30 बजे अपरान्हन अग्नि की सूचना पर प्राप्त हुई, जिसमें नैना, नगरपालिका व भवाली रेंज से टीम बनाकर तत्काल मौके पर पहुँच कर सर्वप्रथम पाईन्स कॉलोनी को सुरक्षित किया गया। मौके पर उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल/मुक्तेश्वर के साथ ही नैना, नगरपालिका व भवाली की टीमें, फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन के द्वारा अथक प्रयास कर 4:30 बजे सांय आबादी क्षेत्र व आरक्षित वन को सुरक्षित कर लिया गया। मौके पर आरक्षित वन में जमीनीय घास, झाड़ी, पिरुल व पत्ते जलकर कुल 1.50 है० क्षेत्र में क्षति हुई है।
Total Fire alert R.F./N.F.				1	0	1	1	1	

वन क्षेत्राधिकारी
नैना वन क्षेत्र राजि
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

नैना वन क्षेत्र — फायर दिनांक 27/04/2024 की एक्शन टेकन रिपोर्ट (ए०टी०आर०)

S. N.	Division name	Range name	Section/Beat name	Number of total		Action Taken Report			remarks
				R. F.	N F.	No. Of Total fire detectd	forest fire doused (no)	No fire detected (no)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल	नैना रेंज	लड़ियाकांटा बीट, लड़ियाकांटा क०नं० 3 व 4	1	0	1	1	1	लड़ियाकांटा क०नं० 03, 04 एवं रडार क्षेत्र में दिनांक 26/04/2024 की रात्री में लगी अग्नि द्वारा तीव्र गति की हवाओं, भांज तथा चीड़ बाहुल्य मात्रा में होने के कारण अत्याधिक अग्नि फैल गई, जिसे मौके पर रात्री में वन क्षेत्राधिकारी भवाली के नेतृत्व में 10 फायर वाचर, 5 उपनल श्रमिक द्वारा पाईन्स आवादी क्षेत्र व 10 कर्मचारीयों की टीम द्वारा लड़ियाकांटा क०सं० 3,4 व रडार क्षेत्र में सहयोग किया गया। तत्पश्चात में दिनांक 27/04/2024 को प्रातः 7:00 बजे वायुसेना के हेलीकॉप्टर एम०आई० 17 के द्वारा भीमताल स्थित झील से लड़ियाकांटा क०नं० 3,4 व वायुसेना के रडार क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया गया मौके पर नैना रेंज टीम, नगरपालिका रेंज टीम, भवाली रेंज टीम, फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन एवं सेना की टीम द्वारा 2:00 बजे अपरान्हन में वनाग्नि को नियंत्रित कर सम्पूर्ण क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया गया। मौके पर आरक्षित वन में जगीनीय घास, झाड़ी, पिरूल व पत्ते जलकर कुल 2.80 है० क्षेत्र में क्षति हुई है।
Total Fire alert R.F./N.F.				1	0	1	1	1	

वन क्षेत्राधिकारी
नैना वन क्षेत्र राजि
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनॉक 26.04.2024 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पाईन्स परिसर नैनीताल में वन विभाग का लड़ियाकॉटा क्षेत्र में अपराहन्न में भीषण आग लग गयी थी जिसमें वन विभाग की टीम द्वारा तत्परता से वनाग्नि को बुझाने में पूर्ण सहयोग किया गया एवं शाम तक आग पर काबू पा लिया गया था जिससे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व डा0 भीमराव अम्बेडकर बालक छात्रावास पूर्ण रूप से सुरक्षित रहा।

प्रधानाचार्य,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
पाईन्स, नैनीताल।

प्रधानाचार्य
राजकीय औ0 प्र0 संस्थान
पाईन्स, नैनीताल

दिनांक 26.4.2024 को रात्री में वन विभाग के लड़ियाकाटा बीट की लगी आग तेज हवा के कारण फैल गई थी जिससे वह हमारे घरों की ओर आ रही थी, मौके पर वन विभाग की टीम द्वारा रात्री तक आग को नियंत्रित किया गया व हमारे घरों को सुरक्षित किया गया दिनांक 27.4.2024 को प्रातः से ही वायु सेना के हैलिकॉप्टर से पानी डाल कर आग पर काबू पा लिया था। उपरोक्त वन अग्नि के जोखिम भरे कार्य हेतु वन विभाग की टीम का धन्यवाद करते हैं।

(1) [illegible]

(2) निर्मला दास
पार्डस कॉलोनी
नैनीताल

(3) जानकी खोलिया
पार्डस कॉलोनी

(4) (रीमा देवी)
पार्डस, स्नोव्यू क्षेत्र नैनीताल

दिनांक 26/04/24 को पाइन्स माननीय उच्च न्यायालय कॉलोनी के समीप वन विभाग के अधिकारियों क्षेत्र में दिन के समय आग लग गई थी। जिसको वन विभाग की टीम द्वारा मौके पर तुरन्त आकर माननीय उच्च न्यायालय कालोनी को सुरक्षित किया गया एवं साथ ही समीप के लगे जंगल को भी सुरक्षित किया गया। वन विभाग की टीम ने दोपहर के साथ तक अथक प्रयासों के बाद कालोनी व जंगल को सुरक्षित किया गया।

हेम चन्द्र
फ्लैड हाउस कॉलोनी
पाइन्स नैनीताल
9917124499.

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, नैनीताल

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल

पत्रांक– 1658 /सिं0ख0नै0/कोर्ट केस/एन0जी0टी0/ दि0 26/06/ 2024

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण(National Green Tribunal) नई दिल्ली द्वारा OA No. 364 of 2024 Sua Moto in Re: News Item published in the newspaper The Times of India, dated 27-04-2024 entitled " IAF Helicopter rioped in to douse fire in Nainital as situation worsens in Uttarakhand District के सम्बन्ध में।

संदर्भ– आपका कार्यालय पत्रांक 1155/13–सी0आर0ए0(आ0प्र0प्राधि0)/2024–25/दि0 25–06–2024

महोदया,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जो प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल, उपजिलाधिकारी व अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित है तथा जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल, उपजिलाधिकारी व अधोहस्ताक्षरी को आपसी समन्वय कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु उल्लिखित किया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी ने तद्विषयक आख्या हेतु प्रभागीय वनाधिकारी व उपजिलाधिकारी, नैनीताल से कई बार दूरभाष पर सम्पर्क किया गया, परन्तु उनसे दूरभाष पर सम्पर्क नही हो पाया।

विषयक वनाग्नि के सम्बन्ध में इस खण्ड द्वारा की गई कार्यवाही निम्नवत् है–

1. दिनांक 26–04–2024 को उपजिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा दूरभाष पर दी गई सूचना के आधार पर वनाग्नि को रोकने हेतु हेलीकॉपटर द्वारा झील से पानी उठाने की अनुमति प्रदान की गई तथा झील में नावों के संचालन को तत्समय रोक दिया गया, जिसके क्रम में दिनांक 27–04–2024 को भीमताल झील से पानी उठाया गया।(संलग्न–1)

अवगत कराना है कि वनाग्नि को रोकने हेतु जिला प्रशासन/विभागीय उच्चाधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में खण्ड द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, नैनीताल

आदेश

वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल के पत्र संख्या 1466/27–1 दिनांक 27 अप्रैल, 2024 के द्वारा वर्ष 2024 वनाग्निकाल में वनों की अग्नि से सुरक्षा हेतु अग्निशमन दल के त्वरित आवागमन, PoL व्यवस्था एवं वनाग्नि प्रश्मन के लिये अग्निशमन दल हेतु अतिआवश्यक सामग्री जैसे–जूते, डांगरी/फायर रेडियम, जैकेट, फायर रैक, फायर बीटर, लीफ ब्लोवर आदि की व्यवस्था हेतु संबंधित वन प्रभागों के लिए निम्नानुसार धनराशि की मांग की गई है:–

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	अग्नि से प्रभावित क्षेत्रफल (है0 में)	Response and Relief मद अन्तर्गत धनराशि की मांग
01	हल्द्वानी वन प्रभाग	23.03	3.50
02	तराई पूर्वी वन प्रभाग	80.76	4.50
03	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग	12.48	2.00
04	तराई पश्चिमी वन प्रभाग	2.50	2.25
05	रामनगर वन प्रभाग	33.82	2.25
		योग	14.50

उक्त के अतिरिक्त उप निदेशक, कार्बेट टाइगर रिर्जव, रामनगर, नैनीताल द्वारा वनाग्नि की रोकथाम हेतु अपने पत्र संख्या 2753/27–7 दिनांक 27 अप्रैल, 2024 द्वारा दिनांक 01.05.2024 से दिनांक 15.06.2024 तक किराये पर वाहन हेतु रू. 0.90 लाख तथा प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल द्वारा अपने पत्र संख्या 5830/3–1 दिनांक 27 अप्रैल, 2024 के द्वारा वनाग्नि की रोकथाम हेतु वाहन तथा ईंधन हेतु रू. 21.00 लाख की धनराशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्तानुसार वन प्रभागों द्वारा किये गये अनुरोध पत्रों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान (Response and Relief) मद से निम्नानुसार धनराशि संबंधित वन प्रभागों को स्वीकृति प्रदान की जाती है–

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रू. में)
1	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।	3.50
2	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।	4.50
3	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर।	2.00
4	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।	2.25
5	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।	2.25
6	उप निदेशक, कार्बेट टाइगर रिर्जव, रामनगर।	0.90
7	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।	21.00
	योग	36.40

उक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जायेगी:–

1. उक्त धनराशि का व्यय राज्य आपदा मोचन निधि मद हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या 33-03/2020-NDM-I(Vol-II) दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 एवं पत्र संख्या 33-03/2020-NDM-I दिनांक 11 जुलाई, 2023 के द्वारा निर्धारित विस्तृत मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2025 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा तथा दिनांक 31.03.2025 तक जिस धनराशि व्यय नहीं हो पायेगी, वह धनराशि जिला कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

3. आहरण व व्यय केवल उन्हीं आपदा संबंधी कार्यों के लिये किया जायेगा, जो एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ. के दिशा–निर्देशों के अनुरूप अनुमन्य धनराशि का गलत उपयोग होने पर संबंधित विभाग इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगा।
4. व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

दिनांक :- 29 अप्रैल 2024

ह0/–
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।

पत्रांक– 345/13–सी.आर.ए./2024 दिनाँकः 30 अप्रैल, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. उप निदेशक, कार्बेट टाइगर रिर्जव, रामनगर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।

(फिंचा राम चौहान)
अपर जिलाधिकारी(वि/रा),
नैनीताल।

आदेश

शासनादेश संख्या 413/XVIII-B-1/2024-12(4)/2024 दिनांक 07 मई, 2024 द्वारा शासनादेश संख्या 371/XVIII-B-1/2024 दिनांक 23 अप्रैल, 2024 के माध्यम से समस्त जनपद के निवर्तन पर आवंटित धनराशि रू. 5.00 लाख की धनराशि को क्षमता विकास मद में स्थानान्तरित करते हुए वन विभाग की आवश्यकतानुसार उपकरण आदि खरीद हेतु व्यय/वन विभाग को क्षमता विकास मद से आवंटित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान (Response and Relief) मद से आगामी वनाग्नि सत्र हेतु वनाग्नि की रोकथाम एवं उसके प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्नानुसार वन प्रभागों को धनराशि आवंटित की जाती है–

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रू. में)
1	हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।	5.00
2	तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।	5.00
3	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर।	5.00
4	तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।	5.00
5	रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।	5.00
6	उप निदेशक, कार्बेट टाइगर रिर्जव, रामनगर।	5.00
7	नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।	5.00
	योग	35.00

उक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जायेगीः–

1. उक्त धनराशि का व्यय राज्य आपदा मोचन निधि मद हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या 33-03/2020-NDM-I(Vol-II) दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 एवं पत्र संख्या 33-03/2020-NDM-I दिनांक 11 जुलाई, 2023 के द्वारा निर्धारित विस्तृत मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2025 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा तथा दिनांक 31.03.2025 तक धनराशि व्यय न होने पर उक्त धनराशि जिला कार्यालय को समर्पित की जायेगी।
3. आहरण व व्यय केवल उन्हीं आपदा संबंधी कार्यों के लिये किया जायेगा, जो एन.डी.आर.एफ./एस. डी.आर.एफ. के दिशा–निर्देशों के मानकों के अनुरूप धनराशि इतर मदों में व्यय होने और उसका गलत उपयोग होने पर संबंधित विभाग इसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगा।
4. व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

दिनाँकः 29 जून, 2024

ह0/–
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।

पत्रांक– 496/13–सी.आर.ए./2024 दिनाँकः 1 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. उप निदेशक, कार्बेट टाइगर रिर्जव, रामनगर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

(फिंचा राम चौहान)

संशोधित आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या 496/13–सी.आर.ए./2024 दिनांक 01 जुलाई, 2024 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर को अग्रिम वनाग्नि सत्र में वनाग्नि रोकथाम एवं उसके प्रभावी नियंत्रण हेतु रू० 5.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर को उनके द्वारा की गई मांग के अनुरूप रू० 4.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की जाती है।

आदेश में वर्णित शेष शर्ते यथावत रहेगी।

दिनांक 05.07.2024

ह0/–
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।

पत्रांक– 527/13–सी.आर.ए./2024 दिनाँक: 9 जुलाई, 2024

प्रतिलिपि **निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–**

1. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर।

(फिंचा राम चौहान)
अपर जिलाधिकारी(वि/रा),
नैनीताल।